

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-19062024-254817
SG-DL-E-19062024-254817

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]	दिल्ली, बुधवार, जून 19, 2024/ज्येष्ठ 29, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 74
No. 157]	DELHI, WEDNESDAY, JUNE 19, 2024/JYAISHTHA 29, 1946	[N. C. T. D. No. 74

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION
CORRIGENDUM

Delhi, the 19th June, 2024

No. F. 3/1/2007/Trg.Admn./DTTE/P.F./550.—In partial modification to earlier notification No.F.3/1/2007/Trg. Admn./DTTE/P.F./504 dated 07/06/2024 (in English version) S. No. at front page may be read as under:

S.No. mentioned in Notification dated 07/06/2024	S.No. now may be read as under
Short title and commencement:- (i) These rules Rules, 2024. (ii) They shall Official Gazette.	1. Short title and commencement:- (i) These rules Rules, 2024. (ii) They shall Official Gazette.
Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix:- The number..... attached thereto.	2. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix:- The number..... attached thereto.
1. Method of Recruitment, Age limit and other qualification:- The method said schedule.	3. Method of Recruitment, Age limit and other qualification:- The method said schedule.
2. Disqualifications:- No person,	4. Disqualifications:- No person,

(a) Who has living, or (b) Who having said posts: Provided that these rules. 3. Power to relax:- Where theof person. 6. Saving:- Nothing in this regard.	(a) Who has living, or (b) Who having said posts: Provided that these rules. 5. Power to relax:- Where theof person. 6. Saving:- Nothing in this regard.
---	---

Rest of the contents of earlier notification No.F.3/1/2007/Trg. Admn./DTTE/P.F./504 dated 07/06/2024 will remain unchange.

BHUPESH CHAUDHARY, Director (TTE)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08062024-254626
SG-DL-E-08062024-254626असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147]	दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2024/ज्येष्ठ 17, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 64
No. 147]	DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2024/JYAISHTHA 17, 1946	[N. C. T. D. No. 64

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जून, 2024

फा. सं. 3/1/2007/प्रशि.प्रशा./डीटीटीई/पा.फा./504—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं. एस0ओ0 3532 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार द्वारा जारी दिनांक 26.07.1989 की अधिसूचना सं. फा. 3/1/87/प्रशि0/प्रशा0 एवं दिनांक 19.08.1981 की अधिसूचना सं0 फा0 2(67)/75-एस.II/खंड 1 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से एतद् द्वारा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत प्रशिक्षण विंग में प्रधानाचार्य (जूनियर स्केल)/उप-प्रधानाचार्य/प्रशिक्षण सहायक निरीक्षक/औद्योगिक संपर्क अधिकारी-सह-प्रभारी अधिकारी/प्रशिक्षण अधिकारी/प्रशिक्षण मूल्यांकन अधिकारी/वरिष्ठ सर्वेक्षक के पद की भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:—(i) इन नियमों को प्रधानाचार्य (जूनियर स्केल)/उप-प्रधानाचार्य/प्रशिक्षण सहायक निरीक्षक/औद्योगिक संपर्क अधिकारी-सह-प्रभारी अधिकारी/प्रशिक्षण अधिकारी/प्रशिक्षण मूल्यांकन अधिकारी/वरिष्ठ सर्वेक्षक भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यता** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :—ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह का अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं, तो वह किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्ति के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :— इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1	2	3	4	5
पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद या गैर चयन पद है
प्रधानाचार्य (जूनियर स्केल)/ उप-प्रधानाचार्य/ प्रशिक्षण सहायक निरीक्षक/ औद्योगिक संपर्क अधिकारी —सह-प्रभारी अधिकारी / प्रशिक्षण अधिकारी/ प्रशिक्षण मूल्यांकन अधिकारी/ वरिष्ठ सर्वेक्षक	23*(2024) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर। अभ्युक्ति: * प्रधानाचार्य (जूनियर स्केल)—2/ उप-प्रधानाचार्य—13 / प्रशिक्षण सहायक निरीक्षक—3/ औद्योगिक संपर्क अधिकारी—सह-प्रभारी अधिकारी—1/ प्रशिक्षण अधिकारी—2 / प्रशिक्षण मूल्यांकन अधिकारी—1/ वरिष्ठ सर्वेक्षक—1	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय राजपत्रित, समूह क	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—10 (रुपये 56100—177500 /—)	चयन पद

6	7	8	9	10
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य योग्यता	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत
35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय।) टीप : आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथाविज्ञापित होगी।	अनिवार्य : योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी में डिग्री। अनुभव : संबंधित इंजीनियरिंग विषय में तीन वर्षों का पेशेवर अनुभव। या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन वर्षों का शिक्षण अनुभव। टीप 1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। टीप 2 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएं) कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।	आयु— लागू नहीं शैक्षिक योग्यता— लागू नहीं	02 वर्ष (पदोन्नति और सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए) टीप : सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों को परिवीक्षा पूरी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित दो से चार सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना अपेक्षित होगा।	75 प्रतिशत —पदोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत —सीधी भर्ती द्वारा

11	12	13
यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
पदोन्नति: 1.नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त प्रदान की गई ग्रेड में 05 वर्षों की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रुपये 44900-142400/-)में समूह अनुदेशक/सर्वेक्षक/सहायक शिक्षता सलाहकार (कनिष्ठ)/अनुदेशक (एवीटीएस)। टीप 1:पदोन्नति पाने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में कम से कम कोई डिप्लोमा होना चाहिए। टीप 2: संशोधित नियमों की अधिसूचना की तिथि से नियमित आधार पर भरक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा 03 वर्ष तक जारी रहेगी। टीप 3: पदोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित ग्रेड/पद में निर्धारित अर्हक सेवा के अधिकारियों द्वारा पूर्ण होने की तिथि के संदर्भ में तैयार की जाएगी। टीप 4—जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।	विभागीय पदोन्नति समिति 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग, भारत सरकार (अध्यक्ष) 2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) 3. सचिव प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) विभागीय स्थायीकरण समिति 1. मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली (अध्यक्ष) 2. विभाग का प्रशासनिक सचिव (सदस्य) 3. संबंधित विभागाध्यक्ष (सदस्य)	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

आर. एलिस वाज़, सचिव

DIRECTORATE OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION**NOTIFICATION**

Delhi, the 7th June, 2024

No. F. 3/1/2007/Trg. Admn./DTTE/P.F./504.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification Number S.O. 3532 dated the 24th September, 1968 and in supersession of Notification No. F.3/1/87/Trg./Admn. Dated 26.07.1989 and notification No. F.2(67)/75-S.II/Vol.1 dated 19.08.1981 issued by this Government except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to frame the following Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of Principal (Jr. Scale)/Vice Principal/Assistant Inspector of Training/Industrial Liaison Officer-cum-Officer Incharge/ Training Officer/ Training Evaluation Officer/ Senior Surveyor in the Training Wing under the Directorate of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

Short title and commencement:- (i) These rules may be called the Principal (Jr. Scale)/Vice Principal/Assistant Inspector of Training/Industrial Liaison Officer-cum-Officer Incharge/ Training Officer/ Training Evaluation Officer/ Senior Surveyor Recruitment Rules, 2024.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix:- The number of posts, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.

1. Method of Recruitment, Age limit and other qualification:- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

2. Disqualifications:- No person,

- (a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living, or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person; shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.

3. Power to relax:- Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of person.

6. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	2	3	4	5
Name of Post	Number of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post/ Non Selection Post
Principal (Jr. Scale)/ Vice Principal/ Assistant Inspector of Training/ Industrial Liaison Officer-cum-Officer Incharge/ Training Officer/ Training Evaluation Officer/ Senior Surveyor	23* (2024) * Subject to variation dependent on workload Remark: * Principal (Jr. Scale)- 2/ Vice Principal-13/ Assistant Inspector of Training-3/ Industrial Liaison	General Central Service, Non-Ministerial Gazetted Group, A	Level-10 (Rs. 56100 - 177500/-) in the Pay Matrix	Selection Post

	Officer-cum-Officer Incharge-1/ Training Officer-2/ Training Evaluation Officer-1/ Senior Surveyor-1			
--	---	--	--	--

6	7	8	9	10
Age limits for Direct Recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether Age & Educational Qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issued by Central Government) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the UPSC.	Essential : Qualification: Degree in Engineering /Technology from a recognized University /Institute. Experience: Three years professional experience in the concerned Engineering discipline; or Three years teaching experience in a recognized institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the U.P.S.C is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age : NA Educational Qualification: NA	2 years (for promotees and direct recruits) Note: Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of two to four weeks duration as prescribed by the competent authority, for completion of probation.	By promotion- 75% By Direct Recruitment - 25%

11	12	13
In case of recruitment By promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment
Promotion : 1.Group Instructor/Surveyor/ Assistant Apprenticeship Advisor(Junior)/Instructor (AVTS) in Level-7 (Rs. 44900-142400/-) of pay matrix with 05 years service in the grade rendered after appointment thereto on	Departmental Promotion Committee 1. Chairman or member of UPSC, Govt. of India (Chairman) 2. Chief Secretary, GNCT of Delhi (Member)	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

regular basis Note 1: The promotees must possess at least a Diploma in Engineering/Technology from a recognized University / Institution. Note 2: The eligibility service shall continue to be 03 years for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules. Note 3: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade / post. Note 4: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service	3. Secretary, Training and Technical Education, GNCT of Delhi (Member) <u>Departmental Confirmation Committee</u> 1. Chief Secretary, Delhi Administration, Delhi (Chairman) 2. Administrative Secretary of the Department (Member) 3. Head of Department concerned (Member)	
---	--	--

By Order and in the Name of Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

R. ALICE VAZ, Secy.